रजिस्ट्री सं० डी० एल०-33004/99 REGD. NO. D. L.-33004/99

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

असाधारण
EXTRAORDINARY
भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (i)
PART II—Section 3—Sub-section (i)
प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 764] नई दिल्ली, बुधवार, नवम्बर 2, 2016/कार्तिक 11, 1938
No. 764] NEW DELHI, WEDNESDAY, NOVEMBER 2, 2016/KARTIKA 11, 1938

पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय

अधिसूचना

नई दिल्ली, 1 नवम्बर, 2016

सा.का.नि. 1030(अ).—केंद्रीय सरकार ने पर्यावरण (संरक्षण) नियम, 1986 के नियम 13 के साथ पठित पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम, 1986 (1986 का 29) की धारा 3 की उपधारा (1) और धारा 6 की उपधारा (2) के खंड (घ) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए प्रारुप नियम अर्थात् घरेलू और सजावटी पेंट में सीसा की मात्रा संबंधी विनियमन नियम, 2016 भारत के राजपत्र, असाधारण, संख्या सा.का.नि. 409(अ), तारीख 8 अप्रैल, 2016 द्वारा उन सभी व्यक्तियों और संगठनों से जिनके उससे प्रभावित होने की संभावना थी, उस तारीख से, जिसको उस राजपत्र की प्रति जिसमें यह अधिसूचना अंतर्विष्ट है, उपलब्ध करा दी गई थी, 60 दिन की अवधि की समाप्ति से पूर्व आक्षेप और सुझाव आमंत्रित करते हुए प्रारुप अधिसूचना प्रकाशित की गई थी ;

और उक्त प्रारुप से अंतर्विष्ट राजपत्र की प्रतियां आम जनता को 24 अप्रैल, 2016 को उपलब्ध कराई गई थी तथा संबंधित पणधारियों को, जिनके पते मंत्रालय के पास उपलब्ध थे, को भी प्रचालित की गई थी ;

और, उक्त प्रारुप अधिसूचना के उत्तर में प्राप्त आक्षेपों और सुझावों पर केन्द्रीय सरकार द्वारा सम्यक रूप से विचार किया गया ;

अत: केंद्रीय सरकार पर्यावरण (संरक्षण) नियम, 1986 के नियम 13 के साथ पठित पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम, 1986 (1986 का 29) की धारा 3 और धारा 6 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, निम्नलिखित नियम बनाती है, अर्थात् :-

1. संक्षिप्त नाम और प्रारंभ.—(1) इन नियमों का संक्षिप्त नाम घरेलू और सजावटी पेंट में सीसा की मात्रा संबंधी विनियमन नियम, 2016 है।

(2) ये राजपत्र में उनके प्रकाशन की तारीख से एक वर्ष पश्चात् प्रवृत्त होंगे ।

2. परिभाषा.—इन नियमों में, जब तक संदर्भ से अन्यथा अपेक्षित न हो, "घरेलू और सजावटी पेंट" से भवनों, दीवारों, सिविल निर्मितियों में आंतरिक और बाह्य धरातल परत सामग्रियों के रूप में उपयोग में लाए गए पेंट, घरेलू परियोजनाओं के लिए कोई उपभोक्ता उत्पाद अभिप्रेत हैं और इसके अंतर्गत भारतीय मानक ब्यूरों द्वारा प्रकाशित घरेलू और सजावटी पेंट के लिए भारतीय मानकों में यथाविहित एनैमल, प्राइमर, इंटीरियर, अंडरकोटिंग और फिनिशिंग रोगन सामग्रियां हैं ।

3. कतिपय दशाओं में सीसा या सीसा सम्मिश्रणों के उपयोग का प्रतिषेध.—सुखाए गए पेंट फिल्म के भार के कुल अवाष्पशील मात्रा के भार के प्रति मिलियन (0.009 प्रतिशित) 90 भाग से अधिक सीसा या सीसा सम्मिश्रण (सीसा धातु के रूप में परिकलित) से अंतर्विष्ट घरेलू और सजावटी पेंट (जिसे इसमें इसके पश्चात् उत्पाद कहा गया है) का विनिर्माण, व्यापार, आयात और निर्यात एतद्द्वारा प्रतिषिद्ध है ।

4. स्वत: प्रमाणन.—इन नियमों के प्रवृत्त होने की तारीख को या से विनिर्मित या आयातित घरेलू और सजावटी पेंट पर यह कथन करते हुए लेबल लगाया जाएगा कि सीसे की मात्रा प्रति मिलियन 90 भाग से अधिक नहीं है, ऐसा लेबल टिकाऊ और स्पष्ट होगा तथा –

(i) लेबल में, यथास्थिति, विनिर्माता या आयातकर्ता का नाम और पता अंतर्विष्ट होगा;

(ii) लेबल में, देश में, यथास्थिति, विनिर्माण या आयात की तारीख अंतर्विष्ट होगी ।

5 नोडल अभिकरण.—(1) इन नियमों के उपबंधों के कार्यान्वयन के लिए केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, नोडल अभिकरण होगा ।

(2) इन नियमों के कार्यान्वयन में किसी वाद या कठिनाई की दशा में मामला नोडल अभिकरण को निर्देशित किया जाएगा ।

(3) नोडल अभिकरण, उसे सभी मामलों, जिसके अंतर्गत इन नियमों के कार्यान्वयन से संबंधित विवादित मामले हैं, पर सलाह देने के लिए किसी समिति का गठन कर सकेगा ।

6. उत्पादों के परीक्षण के लिए प्राधिकृत अधिकरण.—केंद्रीय विद्युत अनुसंधान संस्थान, बेंगलुरु और उसके क्षेत्रीय केंद्र भोपाल, गुवाहाटी , हैदराबाद, कोलकाता, नागपुर, नासिक और नोएडा तथा पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय द्वारा समय-समय पर अधिसूचित कोई अन्य अभिकरण ऐसे परीक्षणों को करने के लिए प्राधिकृत होगा जो यह अवधारित करने के लिए आवश्यक समझते हैं कि क्या उत्पाद में नियम 3 में यथाविनिर्दिष्ट प्रति मिलियन 90 भाग से अनधिक सीसा अंतर्विष्ट है ।

7. अनुपालन और परीक्षण प्रक्रिया.—अनुपालन और परीक्षण प्रक्रियाएं केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड द्वारा प्रमाणन अभिकरणों की सहायता से इन नियमों के प्रारंभ होने की तारीख से छह मास के भीतर तैयार की जाएंगी और प्रकाशित की जाएंगी ।

8. अस्थायी उपबंध.—इन नियमों के प्रारंभ होने की तारीख से पूर्व विनिर्मित या आयातित घरेलू और सजावटी पेंट ऐसे प्रारंभ होने की तारीख से दो वर्ष के लिए विक्रय हेतु अनुज्ञात किए जाएंगे ।

9. साधारण शर्तें.—निम्नलिखित शर्तें लागू होंगी, अर्थात्:-

(i) नियम 3 में यथाविनिर्दिष्ट घरेलू और सजावटी पेंट में सीसे की मात्रा से संबंधित अनुबंध इन नियमों के प्रवृत्त होने की तारीख को या से ही विनिर्मित या आयातित उत्पादों को लागू होंगे ;

(ii) प्रत्येक विनिर्माता या आयातकर्ता प्रतिवर्ष अपने उत्पाद का नियम 3 में यथाविनिर्दिष्ट सीसे की मात्रा के परीक्षण अपने उत्पाद को बाजार में लाने से पूर्व नियम 6 में वर्णित किसी एक प्राधिकृत अभिकरण से करवाएगा;

(iii) परीक्षण करने वाले अभिकरण परीक्षण रिपोर्टों को सत्यापन के लिए और यथापेक्षित कार्रवाई के लिए नोडल अभिकरण को प्रस्तुत करेंगे ; और

(iv) नोडल अभिकरण परीक्षण रिपोर्टों की प्रति संबंधित विनिर्माता या आयातकर्ता और पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय को देगा ।

[फा. सं. 7-21/2010-एचएसएमडी]

बिश्वनाथ सिन्हा, संयुक्त सचिव

MINISTRY OF ENVIRONMENT, FOREST AND CLIMATE CHANGE

NOTIFICATION

New Delhi, the 1st November, 2016

G.S.R. 1030(E).—Whereas, the Central Government, in exercise of powers conferred by sub-section (1) of section 3 and clause (d) of sub-section (2) of section 6 of the Environment (Protection) Act, 1986 (29 of 1986), read with rule 13 of the Environment (Protection) Rules, 1986, published the draft rules namely, the Regulation on Lead contents in Household and Decorative Paints Rules, 2016 in the Gazette of India, Extraordinary, *vide number* G.S.R. 409(E), dated the 8th April, 2016 for inviting objections and suggestions from all persons and organisations likely to be affected thereby before the expiry of a period of sixty days from the date on which copies of the Gazette containing the said notification were made available to the public;

And whereas, the copies of the Gazette containing the said notification were made available to the public on the 24th April, 2016 and were also circulated to concerned stake holders whose addresses for communication were available with the Ministry;

And whereas, the suggestions or objections received in response to the above mentioned draft rules have been considered by the Central Government;

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by section 3 and section 6 of the Environment (Protection) Act, 1986 (29 of 1986), read with rule 13 of the Environment (Protection) Rules, 1986, the Central Government hereby makes the following rules, namely:-

1. **Short title and commencement.**—(1) These rules may be called the Regulation of Lead Contents in Household and Decorative Paints Rules, 2016.

   (2) They shall come into force one year after the date of their publication in the Official Gazette.

2. **Definition.**—In these rule, unless context otherwise requires, "Household and Decorative Paints" means paints used as surface coating materials in interior and exterior of buildings, walls, civil structures, any consumer products meant for household purposes and shall include enamel, primer, interior, undercoating and finishing colouring materials as prescribed in the Indian Standards for Household and Decorative Paints published by the Bureau of Indian Standards.

3. **Prohibition of use of lead or lead compounds in certain cases.**—Any manufacture, trade, import and export of Household and Decorative Paints (hereinafter referred to as product) containing lead or lead compounds (calculated as lead metal) in excess of 90 parts per million (0.009 per cent.) of the weight of the total non-volatile content of the weight of the dried paints film is hereby prohibited.

4. **Self certification.**—Household and Decorative Paints manufactured or imported on or from the date these rules come into force shall be labeled stating that the lead contents does not exceed 90 parts per million, such labelling shall be durable and legible and -

(i) the label shall contain the name and address of the manufacturer or importer, as the case may be;

(ii) the label shall contain the date of manufacture or import into the country, as the case may be.

5. **Nodal agency.**—(1) The Central Pollution Control Board shall be the nodal agency for implementation of the provisions of these rules.

(2) In case of any dispute or difficulty in implementation of these rules, the matter shall be referred to the nodal agency.

(3) The nodal agency may constitute a Committee to advise it on all matters including the disputed matters, related to the implementation of these rules.

6. **Authorised agencies for testing of products.**—The Central Power Research Institute, Bengaluru and its regional centers at Bhopal, Guwahati, Hyderabad, Kolkata, Nagpur, Nashik and Noida and any other agency notified by the Ministry of Environment, Forest and Climate Change from time to time shall be authorised to carry out such tests as they deem necessary for determining whether a product contains lead not exceeding 90 parts per million as specified in rule 3.

7. **Compliance and testing procedures.**—The compliance and testing procedure shall be prepared and published by the Central Pollution Control Board, with the help of certification agencies within six months from the date of commencement of these rules.

8. **Transitory provision.**—Household and Decorative Paints manufactured or imported before the date of commencement of these rules shall be permitted for sale for the next two years from the date of such commencement.

9. **General Conditions.**—The following conditions shall be applicable, namely;-

(i) the stipulations relating to contents of lead in the Household and Decorative Paints as specified in rule 3 shall apply to products manufactured or imported on and from the date of coming into force of these rules;

(ii) every manufacturer or importer shall subject its product every year for testing of lead content as specified in rule 3 before bringing out its product in the market, from any one of the authorised agency mentioned in rule 6;

(iii) the testing agencies shall submit the test reports to the nodal agency for verification and action as may be required;

(iv) the nodal agency shall furnish a copy of the test reports to the concerned manufacturer or importer and the Ministry of Environment, Forest and Climate Change.

[F. No. 7-21/2010-HSMD]

BISHWANATH SINHA, Jt. Secy.

Uploaded by Dte. of Printing at Government of India Press, Ring Road, Mayapuri, New Delhi-110064
and Published by the Controller of Publications, Delhi-110054.

HARINDRA KUMAR Digitally signed by HARINDRA KUMAR Date: 2016.11.03 11:49:41 +05'30'